



कार्यालय पुलिस अधीक्षक जनपद चन्दौली
प्रेस नोट दिनांक- 05.10.2026

"ऑपरेशन कन्विकशन" अभियान के अंतर्गत प्रभावी पैरवी, वैज्ञानिक विवेचना एवं साक्ष्य संकलन के फलस्वरूप थाना बबुरी पर पंजीकृत मु0अ0सं0-155/2018 धारा- 3(1) यू0पी0 गै0 एक्ट में अभियुक्त 1.चंदन पाण्डेय पुत्र साहब पाण्डेय निवासी लेहरा खास थाना इलिया जनपद चन्दौली को मा0 न्यायालय एसजे/एडीजे एफटीसी -द्वितीय जनपद चन्दौली (श्री पारितोष श्रेष्ठ) द्वारा दिनांक 05.10.2026 को दोषी अभियुक्त को **07 वर्ष के कठोर कारावास** की अवधि की सजा व 10,000 रु.(दस हजार रु0) के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड न अदा करने पर 07 दिवस का अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।

अभियुक्त को सजा दिलाने में मॉनिटरिंग सेल, अभियोजक श्री अवधेश कुमार पाण्डेय (एडीजीसी), का0 सत्यप्रकाश (पैरोकार) थाना बबुरी पुलिस की प्रभावी पैरवी सराहनीय रही।